न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

क्रमांकः कोर्ट/2020/4549 दिनांक 14-12 -2020

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 152/2020

प्रेषिति :-

तहसीलदार
सिरोही

उपतहसीलदार कालन्द्री तहसील सिरोही द्वारा जरिये पत्र कमांक भू.अ./2020/573 दिनांक 3-12-2020 के संलग्न प्रार्थी मगनलाल पुत्र उनाजी घांची निवासी कालन्द्री के प्रार्थना पत्र व प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मौजा कालन्द्री I तहसील सिरोही के जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता नंबर 250 के खसरा नंबर 974 ,975 किता 2 कुल क्षेत्रफल 2.6100 हेक्टेयर विक्रय विलेख दिनांक 10-4-1992 शपथपत्र प्रार्थी मगनलाल जमाबंदी संवत 2070-2073 खाता नंबर 156 407 ,1070 प्रार्थी का आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र ,पैनकार्ड ड्राईविंग लाईसेन्स ,वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की प्रतियॉ प्रार्थी ने अपना नाम शुद्व करने हेतु निवेदन किया है। पटवारी हल्का कालन्द्री I की जांच रिपोर्ट व प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त भूमि विक्रय विलेख संख्या 272/92 दिनांक 10-4-1992 के जरिये प्रार्थी व उसके दो भाईयों चुनाराम व हंसाराम के नाम कय की गई थी ,जिसमे प्रार्थी का नाम मगनाराम लिखवाया गया था ,जो चालू जमाबंदी संवत 2070-2073 कें खाता संख्या 250 मे अंकित है। प्रार्थी का सही नाम मगनलाल है। प्रार्थी कें नाम ग्राम कालन्द्री मे ही खसरा नंबर 2407 ,2363, व 976 की अन्य कृषि भूमि है जिसमे उसका सही नाम मगनलाल दर्ज है। साथ ही प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र ,पैनकार्ड ड्राईविंग लाईसेन्स ,वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की प्रतियॉ मे भी उसका नाम मगनलाल ही अंकित है। मगनलाल व मगनाराम एक ही व्यक्ति है। ग्राम कालन्द्री मे मगनाराम पुत्र उनाजी घांची नाम का अनय कोई व्यक्ति नही है। इस प्रकार चालू जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 250 मे प्रार्थी का नाम मगनाराम पुत्र उनाजी के स्थान पर मगनलाल पुत्र उनाजी दर्ज करना उचित है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय उक्त वर्णित त दस्तावेज प्रतियो व पटवारी हल्का कालन्द्री I की जांच रिर्पोट ,तथा उपतहसीलदार कालन्द्री की उक्त अनुशंषा रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन कर विवेचन के उपरान्त उक्त सभी के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही भूनिधारी को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड की प्रतियॉ के भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार वर्तमान जमाबंदी संवत 2070-2073 केक खाता संख्या 250 पर प्रार्थी के दर्ज गलत नाम मगनाराम पुत्र उनाजी के स्थान पर सही वास्तविक नाम मगनलाल पुत्र उनाजी की शुद्वि कर दर्ज/राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:37 IST
Reason: SelfAttested